कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली

संख्या 18827-18895 /प्रतियोगिता/रा.भा.अनुभाग हिन्दी/उ-प/रोहिणी/2018 दिल्ली, दिनांक 02/8/18

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) के निदेशानुसार कार्यालय डायरी संख्या 45376-45576/हिन्दी/प्रतियोगिता/केन्द्रीय/237-238/ दिल्ली/2018 दिनांक 27/07/2018 एवं डायरी संख्या 45577-45777/हिन्दी/प्रतियोगिता/केन्द्रीय/237-238/ दिल्ली/2018 के माध्यम से श्री वी. के. गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली से प्राप्त इन परिपत्रों को सूचना एवं इसके अनुपालन के लिए सभी माननीय न्यायायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), एवं अनुभाग प्रभारियों (उ/प) जिला न्यायालय उत्तर-पश्चिम, रोहिणी को अग्रसारित किया जाता है। तथा आपको सूचित किया जाता है कि इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी संलग्न प्रपत्र/प्रफॉर्मा को भरकर निर्धारित तिथि से पहले अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

2/8/18

संलग्न : उपर्युक्त

(उषा खट्टर)
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)
राजभाषा अनुभाग हिन्दी (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली, से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में आप सभी को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रूचि पैदा करने का उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी **"हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2018-2019"** का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए राजभाषा हिन्दी में किए गए कार्य के मूल्यांकन की अवधि 01.07.2017 से 31.12.2017 तक है। विस्तृत जानकारी हेतु कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति, संलग्नकों सहित, इस परिपत्र के साथ संलग्न है। जिला न्यायालय दिल्ली के विभिन्न अनुभागों/ इकाइयों में तैनात जो भी अधिकारी व कर्मचारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते है वे अपना नाम निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 31.08.2018 तक राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या-237, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को भेजें।

वी.के.गोयल

(वीरेन्द्र गोयल)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम)/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 45376-45576/हिन्दी/प्रतियोगिता/केन्द्रीय/237-238/दिल्ली/2018 दिनांक 24/7/18

परिपत्र की प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ली/ नई दिल्ली।
2. समस्त माननीय नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिला न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिला न्यायालय, दिल्ली **(संबंधित जिले में परिचालित करवाएं तथा इच्छुक अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रपत्र व सूची तैयार कर राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या-237, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को दिनांक 01.09.2018 तक भिजवाएं)।**
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी/ अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. सुश्री मधु बाला शर्मा, कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई.पी. एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/ हिन्दी, जिला न्यायालय, दिल्ली **(इस अनुरोध सहित कि कृपया इसे इंटरनेट पर प्रदर्शित करें)**।

*** कृपया ध्यान दें:-**आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवगत करवाएं तथा इच्छुक कर्मचारियों के नाम निर्धारित प्रपत्र पर तय तारीख तक उपरोक्त वर्णित पते पर भेजें।

वी.के.गोयल

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम)/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (केन्द्रीय),
कक्ष संख्या–237, द्वितीय तल,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
(दूरभाष : 011–23950919 विस्तार– 1237)

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2018–2019 में भाग लेने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला निर्धारित प्रपत्रः–

(मुल्यांकन की अवधि 01 जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

1. अधिकारी/ कर्मचारी का नाम : ----------
2. पिता/ पति का नाम : ----------
3. पदनाम (ग्रेड पे अवश्य लिखें) व : ----------
 कर्मचारी कूट संख्या ----------
4. विभाग/तैनाती स्थल का पूरा पता : ----------
 संबद्ध जिला ----------
 दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित : ----------
 (दूरभाष संख्या लिखना अनिवार्य है)
5. ई–मेल/ मोबाइल नम्बर (अनिवार्य) : ----------
6. हिन्दी में किए गए कार्यो का ब्यौरा : ----------
 (प्रतिलिपि सहित)

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले
अधिकारी/ कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित अधिकारी
के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय,नई दिल्ली–

फा.सं. 08(03)/2018–19/क0सं0 एवं भाषा/2231 – 2334 दिनांक: 7/6/18



सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली

विषयः हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता–2018 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01.07.2017 से 31.12.2017 तक ।

महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड, 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि, पदक व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है। यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन **अवधि 01.07.2017 से 31.12.2017** तक निर्धारित की गई है। **प्रतियोगिता की नियमावली एवं फार्म इसके साथ संलग्न है।**

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजें जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी में किये गये कार्यो से वे स्वयं संतुष्ट हों। **इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म भी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिये।**

कृपया अपने विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में **दिनांक 26 अक्टूबर, 2018** तक इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। **निरीक्षण के उपरान्त परिणाम संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।**

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की **वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in** पर देखी जा सकती है।

भवदीया,

M० शर्मा

(मधु बाला शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष (कला, संस्कृति एवं भाषा)

जारी–/2.....

(2)

भा.सं. 08(03)/2018–19/क0सं0 एवं भाषा/1332– 2341 दिनांक: 7/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (भा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

(मधु बाला शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011–23392001–08
इन्टरकॉम नम्बर: 3715

हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली (वर्ष 2018–2019)

1. **इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा।**

2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रूचि पैदा करना है ।

3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि0, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/स्वायत्त निकायों/निगम के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

4. **इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.07.2017 से 31.12.2017 (01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017) तक होगी ।**

5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी।

6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी । हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी । व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी–मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक–एक लाईन माना जायेगा।

8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड भी दी जायेगी।

9. इस प्रतियोगिता में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) कर्मचारी, अधिकारी वर्ग में सम्मिलित होंगे।

10. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगें (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक तथा अपने विभाग में डायरी, डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हिन्दी में करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

11. दोनों वर्गो में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होगी:–

	पुरस्कारों की संख्या	वर्तमान राशि
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000/–रूपये (प्रत्येक)
(2) कर्गचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000/–रूपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000/–रूपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000/–रूपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800/–रूपये (तीस)(प्रत्येक)

12. 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

13. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे ।

14. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत** अधिकारी/कर्मचारी भाग नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।

15. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

16. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा जिनकी संस्तुति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई होगी।

17. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में टेलीफोन संख्या 23392152 पर संपर्क किया जा सकता है।

M.21.11

(मधु बाला शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष (कला,संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 23392152

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली, से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में आप सभी को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार दिनांक 13/9/2018 से 19/09/2018 तक विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ 2018-2019 का आयोजन करने जा रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति, संलग्नकों सहित, इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। जो भी अधिकारी व कर्मचारी विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं 2018-2019 में हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपना नाम दिनांक 31/08/2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर भरकर राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या-237, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को भेजें।

इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी प्रतियोगिता के दिन अपने पीठसीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निर्धारित समय पर सीधे परीक्षा स्थल पर जा सकते हैं। इच्छुक कर्मचारियों के नाम अग्रसारित करते हुए संबंधित अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि इससे उनके न्यायालय/ अनुभाग का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।

वीरेन्द्र गोयल

(वीरेन्द्र गोयल)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम)/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 45577-45777 /हिन्दी/ प्रतियोगिता/केन्द्रीय/237-238/दिल्ली/2018 दिनांक 24/7/18

परिपत्र **की प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-**

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ली/ नई दिल्ली।
2. समस्त माननीय नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिला न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिला न्यायालय, दिल्ली **(संबंधित जिले में परिचालित करवाएं तथा इच्छुक अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रपत्र व सूची तैयार कर राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या-237, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को दिनांक 01.09.2018 तक भिजवाएं)।**
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी/ अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. सुश्री मधु बाला शर्मा, कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई.पी. एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/ हिन्दी, जिला न्यायालय, दिल्ली **(इस अनुरोध सहित कि कृपया इसे इंटरनेट पर प्रदर्शित करें)।**

*** कृपया ध्यान दें:-**आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवगत करवाएं तथा इच्छुक कर्मचारियों के नाम निर्धारित प्रपत्र पर तय तारीख तक उपरोक्त वर्णित पते पर भेजें। आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रतियोगिता के दिन कर्मचारियों को निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने की अनुमति भी प्रदान करें।

वीरेन्द्र गोयल

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम)/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

संख्या : 18461-18515 /हिन्दी/उ०/2018 दिल्ली, दिनांक 24/7/18

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, उत्तरी जिला; रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. जन संपर्क अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. जन सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अनुभाग, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. अनुभाग प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. अभिलेख अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
7. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (केन्द्रीय),
कक्ष संख्या–237, द्वितीय तल,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
(दूरभाष : 011-23950919 विस्तार-1237)

विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ–2018

प्रतियोगिता की तारीख 13.09.2018 से 19.09.2018 तक

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण–आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2018–2019 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः–

प्रतियोगिता(ओं) के नाम----------

1. अधिकारी/ कर्मचारी का नाम : ----------
2. पिता/ पति/ माता का नाम : ----------
3. पदनाम (ग्रेड पे अवश्य लिखें) व कर्मचारी कूट संख्या : ----------
4. शैक्षिक योग्यता : ----------
5. क्या आप अनु.जा./जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ सामान्य वर्ग से संबंधित है : ----------
6. विभाग/तैनाती स्थल का नाम व पूरा पता दूरभाष संख्या सहित। : ----------

कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित अधिकारी
के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल,आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(02)/2018–19–कला एवं भाषा/ 2559 - 2659 दिनांक: 2/7/18

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

24 JUL 2018
दिल्ली

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2018–2019 के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राजकीय कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिये भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते है । इसी क्रम में दिनांक **13.09.2018, 14.09.2018 एवं 17.09.2018 को हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54** में दोपहर 3.30बजे से किया जाना है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	उपस्थित होने का समय	स्थान
13.09.2018	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.00बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
14.09.2018	हिन्दी टिप्पण अपलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	–वही–	–वही–
17.09.2018	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	–वही–	–वही–
19.09.2018	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ई–प्रोक्योरमेंट सैल, छठा तल, सी–विंग, विकास भवन–2, नियर मेटकाफ हाऊस, दिल्ली–54 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले)
19.09.2018	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	–वही–

उपरोक्त हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) दोनों परीक्षाएं दिनांक **18.09.2018 एवं 19.09.2018** को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ई–प्रोक्योरमेंट सैल, छठा तल, सी–विंग, विकास भवन–2, नियर मेटकाफ हाऊस, दिल्ली–54 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले) स्थित कार्यालय में होगी। कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में **उचित माध्यम द्वारा भरकर दिनांक 07.09.2018 तक इस विभाग में** भिजवाने का कष्ट करें ।

विशेष टिप्पणी :–

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

इस बार भी कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी उपरोक्त पते पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पूर्वाह्न 10.30बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। परीक्षा से संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

शेष संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** पर देखी जा सकती है।

भवदीया

म०शर्मा

(मधु बाला शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष (कला, संस्कृति एवं भाषा)

विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की नियमावली
(वर्ष 2018–2019)

(5)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम कार्यालयाध्यक्ष, कला,संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बी–विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे ।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

4. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी तथा डिक्टेशन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण अनिवार्य रूप से टाइप करके प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।

5. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र नहीं दिया जाएगा।

6. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

7. कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा दिनांक 18.09.2018 एवं 19.09.2018 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ई–प्रोक्योरमेंट सैल, छठा तल, सी–विंग, विकास भवन–2, नियर मेटकाफ हाऊस, दिल्ली–54 में होगी।

9. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा जो 100 अंकों का होगा और समयावधि 45 मिनट होगी। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों के निबंध के शब्दों की संख्या कम से कम 350शब्द होनी चाहिए। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति आदि मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी (हिन्दी विभाग),
उत्तरी जिला, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

10. **हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे । मूल्यांकन भाषा–शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे:–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

11. **हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख":– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग":– समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

12. **प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :–**

प्रथम पुरस्कार	(एक)	4000/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	3000/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	2000/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पांच)	800/–रूपये

13. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये है तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।

14. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

(7)

15. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

16. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।

17. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

18. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।

19. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

म० शर्मा

(मधु बाला शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष (कला, संस्कृति एवं भाषा)

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी (हिन्दी विभाग),
उत्तरी जिला, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली